

परिशिष्ट-पांच (ख)

(सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु)

(250/- के नानज्युडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र
का प्रारूप

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी.....

.. छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर की
F-21-01/2018/9/55-4 Dt 13-03-2018
अधिसूचना क्रमांक: "छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2018."
को भली-भांति पढ़कर समझ लिया है।

2. मैं राज्य कोटे/अखिल भारतीय कोटे के सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र हूँ।

3. मैं एतद्वारा यह शपथपत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता हूँ कि :-

(क) यदि माननीय उच्चतम न्यायालय/भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा इस शैक्षणिक वर्ष 2019&2020
हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत मेरे द्वारा प्रवेशित सीट से त्यागपत्र
दिया जाता है तो रू. 25.000,00 (पच्चीस लाख रूपये) तथा तीन/दो वर्षों तक
प्रदाय किये जाने वाले स्टाइपण्ड की राशि (अद्यतन स्थिति में गणना की गई)
शासन को मेरे द्वारा देय होगी।

(ख) मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि पाठ्यक्रम अवधि के दौरान यदि मुझ पर
अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा मुझे महाविद्यालय
से निष्कासित किया जाता है तो भी उपरोक्त खण्ड में वर्णित राशि शासन को मेरे
द्वारा देय होगी।

(ग) उक्त राशि के भुगतान करने के पश्चात् ही मेरे द्वारा प्रवेश के समय महाविद्यालय
प्रशासन में जमा किये गए मूल प्रमाणपत्र मुझे वापस प्रदाय किये जायेंगे।

(घ) यह कि मुझे ज्ञात है कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम
एवं मान्य होगा।


हस्ताक्षर

आवेदक/निष्पादनकर्ता


गवाह :

1.....हस्ताक्षर] uke , oairk


2.....हस्ताक्षर] uke , oairk




आवेदक



प्रतिभूतिकर्ता



गवाह 01



गवाह 02

प्रतिभूतिकर्ता

मैं.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....निवासी

उपरोक्तानुसार बंधपत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्धपत्र के उल्लंघन की दशा में, बंधपत्र में उल्लिखित राशि मेरी चल एवं अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता